रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1975/भाद्र 7, 1897

No. 335] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1975/BHADRA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August 1975

S.O. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Employees' State Insurance (Amendment) Act, 1975, (38 of 1975), the Central Government hereby appoints the first day of September, 1975, as the date on which the provisions of sections 3 to 7 (both inclusive) and section 9 of the said Act shall come into force.

[No. F.S-38012/1/74-HI.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

का० आ० 459(ई०).—कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 38) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सितम्बर, 1975 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धाराओं, 3 से 7 (दोनों को सम्मिलित करके) और धारा 9 के उपबन्ध लागू होंगे।

[सं० एस-38012/1/74-एच० आई]

डी० आर० मिश्र, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975